न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 804/2023

अनवान : –

1. हनुमान प्रसाद पुत्र इमीलाल जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. इमीलाल पुत्र दीपा जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर।
2. केसर पुत्री दीपा पत्नी मोटाराम जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
3. हरफुल पुत्र बिमला पुत्री दीपा पत्नी सादुल जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
4. सादुलाराम पुत्र नामालुम पति बिमला जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
5. मन्जु पुत्री विमला पत्नी शिवभगवान जाति जांगिड़ साकिन गाजबास तहसील तारानगर।
6. मनहोरी पुत्री स्व0 बिमला पत्नी लालचन्द जाति जांगिड़ साकिन गाजबास तहसील तारानगर।
7. भंवरी पुत्री इमीलाल पत्नी राकेश कुमार जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री इमीलाल पत्नी सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री इमीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री इमीलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री इमीलाल पत्नी धनश्याम जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. राधा पुत्री इमीलाल जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 26/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 107/118 की कुल 11.5460 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा रायपुरा तहसील भानीपुरा के खाता संख्या 9/8 की कुल 13.2772 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भाउवाला तहसील भानीपुरा के खाता संख्या 8/8 की कुल 4.9568 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा दीपा के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वाद भूमि वर्तमान में वादी के दादा दीपा पुत्र फुसा के नाम दर्ज है। दीपा पुत्र फुसा की वंशावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार दीपा पुत्र फुसा के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी की जन्मजात हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 व वादी की बुआ मृतक विमला के वारिसान 2 ता 6 व वादी की बहन प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 12 ने मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारे में रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 107/118 की कुल 11.5960 हैक्ट भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2076–79 रोही मौजा ढाणी रायकान खाता संख्या 107/118, मृत्यु प्रमाण पत्र विमला, आशादेवी, दीपाराम, कुर्सीनामा बहक दीपाराम शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादा दीपा पुत्र फुसा के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है दीपा पुत्र फुसा का देहान्त हो चुका है दीपा पुत्र फुसा के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 12 ने अपना हक हिस्सा वादी के [illegible] त्याग [illegible] कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर [illegible] है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री [illegible]या जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 107/118 की कुल 11.5460 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा रायपुरा तहसील भानीपुरा के खाता संख्या 9/8 की कुल 13.2772 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा भाउवाला तहसील भानीपुरा के खाता संख्या 8/8 की कुल 4.9568 हैक्ट भूमि दीपा पुत्र फुसा नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 1 ता 12 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 107/118 की कुल 11.5460 हैक्ट भूमि दीपा पुत्र फूसा नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक दीपा पुत्र फूसा का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 804/2023

अनवान : –

1. हनुमान प्रसाद पुत्र इमीलाल जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. इमीलाल पुत्र दीपा जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर।
2. केसर पुत्री दीपा पत्नी मोटाराम जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
3. हरफुल पुत्र बिमला पुत्री दीपा पत्नी सादुल जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
4. सादुलाराम पुत्र नामालुम पति बिमला जाति जांगिड़ साकिन बुचावास तहसील तारानगर।
5. मन्जु पुत्री विमला पत्नी शिवभगवान जाति जांगिड़ साकिन गाजबास तहसील तारानगर।
6. मनहोरी पुत्री स्व0 बिमला पत्नी लालचन्द जाति जांगिड़ साकिन गाजबास तहसील तारानगर।
7. भंवरी पुत्री इमीलाल पत्नी राकेश कुमार जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
8. सरोज पुत्री इमीलाल पत्नी सुभाषचन्द्र जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
9. सन्तोष पुत्री इमीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति सुथार निवासी श्योरानी तहसील नोहर।
10. सुमन पुत्री इमीलाल पत्नी वेदप्रकाश जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।
11. कृष्णा पुत्री इमीलाल पत्नी धनश्याम जाति सुथार निवासी ललानिया तहसील नोहर।
12. राधा पुत्री इमीलाल जाति जांगिड़ साकिन रायपुरा तहसील सरदारशहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 804 सन 2023 निर्णय दिनांक– 07/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री संजय कुमार जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 107/118 की कुल 11.5460 हैक्ट भूमि दीपा पुत्र फूसा नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक दीपा पुत्र फूसा का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर